(17)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 253/2022

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

श्री दरिया सिंह पुत्र श्री प्रभुदयाल, जाति मेघवाल, उम्र 40 साल, निवासी राजवीरपुरा तन जाखोद, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

——अप्रार्थीगण

थाना सूरजगढ पर दर्ज अ0स0 251/2015 धारा 3/7 ई0सी0एक्ट मे जप्तशुदा माल वजह सबूत को ई0सी0 एक्ट की धारा 6ए के तहत निस्तारण के संबंध मे।

——

उपस्थितः—

1. श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय प्रतिनिधि—प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री आबिद अली, एडवोकेट—अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 22.09.2022

थानाधिकारी, पुलिस थाना, सूरजगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि मै अनामिका प्रवर्तन अधिकारी चिड़ावा (उपखण्ड) हूं। आज दिनांक 6.10.2015 समय 5.15 सांय मुझे सूचना मिली की राशन की दुकान वार्ड नं0 7 नेतरामपुरा में उ0मू0दु0 सुरेन्द्र कुमार बिना राशन कार्ड राशन का केरोसिन तेल करीब 45.50 लीटर विक्रय किया था जो लेकर जा रहा जिसको हम गांव वालो ने रोक रखा है जिस पर मै प्रवर्तन अधिकारी रवाना होकर नेतरामपुरा पहुंची। जहां पर एक सक्श व्यक्ति के पास करीब 50 लीटर का जरिकन रखा हुआ पड़ा था। गांव के काफी लोग मौके पर मौजूद थे। उक्त शक्स का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दरिया सिंह पुत्र प्रभुदयाल, जाति मेघवाल, निवासी राजवीरपुरा, उम्र 40 वर्ष का होना बताया। शक्स दरिया सिह के कब्जे में मिले ड्रम के बाबत पूछा गया कि ड्रम में क्या है तो मिट्टी का तेल होना बताया। कहां से लाने बाबत पूछा तो उचित मूल्य दुकानदार से खरीद कर लाना बताया। उस केरोसिन तेल के संबंध में उक्त दरिया सिंह से लाईसेन्स के बाबत पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स नही होना बताया। शक्स दरिया सिंह का इस प्रकार राशन का केरोसिन तेल अपने कब्जे में रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। शक्स के कब्जे में मिले जरिकन में से 1 लीटर केरोसिन कॉच की बोतल में डालकर मौके पर शील्ड मोहर कर मार्क ''A'' अंकित किया शेष जरिकन के तेल को उसी जरिकन में जरिकन के मुंह पर ढक्कन पर कपड़े से शील्ड मोहर कर मार्क ''B'' अंकित किया गया। जरिकन मय तेल को पृथक से जरिये फर्द कब्जा पुलिस में लिया। सूचना पाकर आप मौके पर आये तो जप्तशुदा तेल मय फर्द के व शक्स दरिया सिंह को पेश कर निवेदन है कि अभियोग दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करे। घटना स्थल पर पहुंचने का समय 6:45 पीएम है। सलंग्न फर्द जप्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 16:41:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

15

ल मय जप्त जरिकेन व सैम्पल मय शक्स दरिया सिंह। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट श्रीमती अनामिका पत्नी कैलाश चन्द्र उम्र 37 साल जाति जाट निवासी 1/4 विधाधर नगर, जयपुर हाल प्रवर्तन अधिकारी उपखण्ड चिडावा ने घटना स्थल पर पेश की फर्द जप्ती व जप्तशुदा सैम्पल बोतल मार्क A व शील्ड जरिकन तेल मिट्टी तेल व शक्स दरिया सिंह जिनके कब्जे से तेल प्राप्त हुआ के पेश की रिपोर्ट को पढकर सुनाई सुन समझ सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट का वकु में आना पाया जाता है। लिहाजा मूल रिपोर्ट व शक्स दरिया सिह व जप्त तेल को हमरा लिया जाकर रवाना थाना को हुआ थाना पहुंच कर मूल रिपोर्ट वास्ते कायमी मुकदमा व शक्स दरिया सिंह को वास्ते तफ्तीश श्रीमान एस0एच0ओ0 साहब के समक्ष पेश किये जायेंगे व जप्त शील्ड तेल को जमा माल रवाना कराने के लिए पेश किया जावेगा। नोट :– वापसी थाना पर उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्रीमती अनामिका पत्नी कैलाश चन्द्र जाति जाट उम्र 37 साल निवासी 1/4 विधाधर नगर, जयपुर हाल प्रवर्तन अधिकारी उपखण्ड चिडावा की मय फर्द जप्ती तेल मय जप्त जरिकेन व सैम्पल व मय शक्स दरियासिह के पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पाया जाता है अतः अभियोग संख्या 251/15 धारा उपरोक्त में पंजीबद्ध कर मन एस0एच0ओ0 गोपीराम बाजिया उ0नि0 मशरूफ तफ्तीश होता हू प्रतियां FIR नियमानुसार जारी की गई। जरिकन वा सैम्पल को जमा मालखाना करवाया गया। अतः निवेदन है कि प्रकरण हाजा सं0 251/2015 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे 45 लीटर केरोसीन तेल जप्त किया गया था उक्त जप्त केरोसीन तेल का ड्रम थाना हाजा के मालखाना मे रखा हुआ है। थाना हाजा के मालखाना मे अन्य प्रकरणों के माल भी वजह सबूत रखे हुए है। थाना हाजा मे जगह सीमित होने के कारण किसी भी प्रकार का हादसा होने की संभावना रहती है। प्रकरण श्रीमान् न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट झुंझुनूं मे विचाराधीन चल रहा है। अतः श्रीमान् से निवेन है कि प्रकरण हाजा मे जप्त केरोसीन तेल (अति ज्वलनशील पदार्थ) का निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को आदेशित फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से एक ड्रम मे 45 लीटर केरोसीन व एक जरीकेन जप्त किया गया है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स केरोसीन के विक्रय बाबत नही था। उक्त केरोसीन के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। केरोसीन अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा एक ड्रम मे 45 लीटर केरोसीन के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

आज वकील अप्रार्थी ने दिनांक 31.08.2022 को लिखित जबाब पेश कर निवेदन किया था कि उसके कब्जे से अवैध केरोसीन की कोई बरामदगी नहीं हुई है। मुझ अप्रार्थी दरियासिंह का जप्तशुदा केरोसीन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए न्यायालय अपनी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अप्रार्थी के विरूद्ध किसी पार्टीबाजी एवं राजनैतिक द्वेषता के कारण झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के खिलाफ कार्याही निरस्त फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

16

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने अपने जबाब मे कथन किया है कि प्रकरण मे न्यायालय अपनी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रकरण मे केरोसीन में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस केरोसीन का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये एक ड्रम मे 45 लीटर केरोसीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए (2) के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा ड्रम व 45 लीटर केरोसीन का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:28 IST
Reason: SelfAttested